रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 79] प्रयागराज, शनिवार, 05 जुलाई, 2025 ई० (आषाढ़ 14, 1947 शक संवत्) [संख्या 27

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0			रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	361–366	3075	भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	691–722	1500	भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क–भारतीय संसद के ऐक्ट	...	975
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय					
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975	(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	...	975	भाग 8–नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	1061-1100	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975	स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

Scanned with OKEN Scanner

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

आयुष विभाग

अनुभाग–1

नियुक्ति / तैनाती

19 जुलाई, 2023 ई0

सं0 4124 / 96-आयुष-1-2023-155 / 2017—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3) / 03 / डी0आर0 / एस-9 / 2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4) / 03 / डी0आर0 / एस-9 / 2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100 / — ग्रेड पे-5,400 / — (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त / तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
सुश्री सौम्या शुक्ला	श्री अशोक कुमार शुक्ला	132	54100055275	प्रयागराज	निवासी-63 5 जे 2 शिवकुटी मेला रोड तेलियरगंज प्रयागराज-211004	हरदोई

उक्त नियुक्ति / तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379 / दस-2005-31(9) / 2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण—पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

1– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3– आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।

4– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8– राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9– अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।

(8) उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4125/96-आयुष-1-2023-155/2017–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्री प्रिय रंजन तिवारी	श्री दिनेश तिवारी	171	54100153887	प्रयागराज	निवासी-एस0-401, सुमित्रा निवास, 213 लाला लाजपत राय रोड, न्यू कटरा प्रयागराज-211002	संत रविदास नगर (भदोही)

Scanned with OKEN Scanner

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण–पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

1– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3– आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।

4– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8– राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9– अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।

(8) उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

सं0 4126/96-आयुष-1-2023-155/2017–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
वन्दना सिंह पटेल	पत्नी श्री शैलेश पटेल	149	54100136224	प्रयागराज	निवासी-32ए, ओल्ड अल्लापुर, दारागंज, प्रयागराज-211006	प्रतापगढ़

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण–पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

1– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3– आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।

4– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

Scanned with OKEN Scanner

5– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8– राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9– अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ।

(8) उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,
लीना जौहरी,
प्रमुख सचिव।

पी०एस०यू०पी०–14 हिन्दी गजट–भाग 1–2025 ई०।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विभाग

प्रारूप-18

नियम-20 का उपनियम (2)

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना

(अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

09 अप्रैल, 2025 ई0

सं0 188/वि0भू0अ0अ0/न0म0पा0/आगरा–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन ''ग्राम-ककुआ में अटलपुरम योजना के निर्माण हेतु।'' जनपद-आगरा, तहसील सदर आगरा, परगना-आगरा ग्राम-ककुआ में कुल 8.3301198 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2– अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) आगरा, नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 10 फरवरी, 2025 को अनुमोदित किया गया है।

3– सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है–

(1) ग्राम बल्हैरा में अटलपुरम योजना के निर्माण हेतु।

(2) इस परियोजना के निर्माण से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

4– भूमि अर्जन के कारण कुल (कोई नहीं) परिवार के विस्थापित होने की संभावना है। विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् है–

शून्य

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर अपर जिलाधिकारी (नगर) आगरा को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5– अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती है।

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं0/गाटा सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	आगरा	सदर आगरा	आगरा	ककुआ	412	0.2090
2					413	0.2090
3					415	0.4180

Scanned with OKEN Scanner

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
4	आगरा	सदर आगरा	आगरा	ककुआ	416	0.8440
5					417	0.8440
6					418	0.07317
7					442	0.7170
8					447	0.0304
9					524	0.9070
10					525	0.3020
11					529	0.2000
12					530	0.1000
13					531	0.0870
14					532	0.0870
15					608	0.0416666
16					609	0.3768333
17					610	0.2366666
18					611	0.0783333
19					623	0.0437
20					648	0.0230
21					656	0.0170
22					662	0.7280
23					707	0.0520
24					722	0.2211
25					726	0.9720
26					728	0.04675
27					754	0.4455
28					826	0.0200
					योग . .	**8.3301198**

Scanned with OKEN Scanner

6– अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7– अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8– अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी– उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
राज्य सरकार/कलेक्टर,
आगरा।

REVENUE DEPARTMENT

FORM-18

[Sub-rule (2) of rule 20]

PRELIMINARY NOTIFICATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[Under Sub-section (1) of section 11 of the Act]

NOTIFICATION

April 09, 2025

No. 188/ S.L.A.O./N.M.P./Agra–Under Sub-section (1) of section 11 of the Right to Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 8.3301198 hectares of land is required in the Village-Kakua, Pargana-Agra, Tehsil-Sadar Agra, District-Agra is required for public purpose, namely, Development Atal Puram Yojana through Agra Development Authority, Agra (name of requiring body).

2. Social Impact Assessment study was carried out by the A.D.M.(F/R) Agra Nodal Officer of Social Impact Assessment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated February 10, 2025.

3. The summary of the Social Impact Assessment Report as follows-

1. Land is required for public purpose Namely Development for Atal Puram Yojna.
2. There is no any other Anty Effect construction on of this project.

4. A total of No one families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under-

----

Deputy Collector/Assistant Collector A.D.M.(F/R) Agra is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

Scanned with OKEN Scanner

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.-

SCHEDULE

Sl. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
1	Agra	Sadar Agra	Agra	Kakua	412	0.2090
2	Do.	Do.	Do.	Do.	413	0.2090
3	Do.	Do.	Do.	Do.	415	0.4180
4	Do.	Do.	Do.	Do.	416	0.8440
5	Do.	Do.	Do.	Do.	417	0.8440
6	Do.	Do.	Do.	Do.	418	0.07317
7	Do.	Do.	Do.	Do.	442	0.7170
8	Do.	Do.	Do.	Do.	447	0.0304
9	Do.	Do.	Do.	Do.	524	0.9070
10	Do.	Do.	Do.	Do.	525	0.3020
11	Do.	Do.	Do.	Do.	529	0.2000
12	Do.	Do.	Do.	Do.	530	0.1000
13	Do.	Do.	Do.	Do.	531	0.0870
14	Do.	Do.	Do.	Do.	532	0.0870
15	Do.	Do.	Do.	Do.	608	0.0416666
16	Do.	Do.	Do.	Do.	609	0.3768333
17	Do.	Do.	Do.	Do.	610	0.2366666
18	Do.	Do.	Do.	Do.	611	0.0783333
19	Do.	Do.	Do.	Do.	623	0.0437
20	Do.	Do.	Do.	Do.	648	0.0230
21	Do.	Do.	Do.	Do.	656	0.0170
22	Do.	Do.	Do.	Do.	662	0.7280
23	Do.	Do.	Do.	Do.	707	0.0520
24	Do.	Do.	Do.	Do.	722	0.2211
25	Do.	Do.	Do.	Do.	726	0.9720
26	Do.	Do.	Do.	Do.	728	0.04675
27	Do.	Do.	Do.	Do.	754	0.4455
28	Do.	Do.	Do.	Do.	826	0.0200
					Total . .	**8.3301198**

Scanned with OKEN Scanner

6. The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to entre upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub-soil into the sub-oil and do all the Acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section-11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE-A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
State Government/Collector,
Agra.

बुलन्दशहर के जिलाधिकारी की आज्ञायें

30 दिसम्बर, 2023 ई0

आदेश

सं0 1343/डी0एल0आर0सी0/2023–शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं चन्द्र प्रकाश सिंह, जिलाधिकारी बुलन्दशहर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूचित के स्तम्भ 6 में उल्लिखित भूमि ग्राम शिकारपुर, परगना शिकारपुर, तहसील शिकारपुर, जिला बुलन्दशहर के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। उपजिलाधिकारी शिकारपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये पुर्नग्रहण प्रस्ताव दिनॉक 16 दिसम्बर, 2023 के आधार पर अनुसूची में वर्णित भूमि गाटा संख्या-3529क क्षेत्रफल 0.0948 हे0 में से 0.0300 हे0 भूमि ग्राम शिकारपुर, परगना शिकारपुर, तहसील शिकारपुर, जिला बुलन्दशहर को महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के निर्वतन पर रखते हुए भारत सरकार की वित्त पोषित वन स्टाप सेटर योजना के लिए भवन निर्माण हेतु कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी बुलन्दशहर, (उत्तर प्रदेश शासन का सेवारत विभाग) के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित की जाती है।

Scanned with OKEN Scanner